न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 100 / 2022

1 सत्यवीर पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी मोई सद्दा पुरानी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सहायक अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी., बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
2 नायब तहसीलदार, सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 18.07.2022 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी
सत्यवीर बनाम सहायक अभियन्ता वगै. मु.नं. 46 / 2022
अ.धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः—7·11·24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 46/2022 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 156, 191, 192, 263 वाके ग्राम मोई सद्दा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर आदेश दिनांक 20.01.2022 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की कानून से धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करने में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर अलग अलग तर्क व निष्कर्ष सहित स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने प्रावाधानों की अनदेखी की है। अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला है प्रकरण में अपीलान्ट की रिलीफ सिर्फ यही है कि जब मौके पर कटानी रास्ता खसरा नम्बर 275 मौजुद है उस सूरत में रेस्पोडेन्ट कटानी रास्ते पर ही सड़क का निर्माण कर सकता है। उसकी खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 263 पर रेस्पोडेन्ट को सड़क निर्माण का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानने में कानूनी गलती की है। खसरा नम्बर 275 पर सड़क निर्माण में अपीलान्ट बाधा कारित नहीं कर रहा है। कानून से किसान की जमीन बिना अधिग्रहण किए तथा बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मुआवजा दिए सरकारी यंत्र को सड़क का निर्माण का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट की जमीन खसरा नम्बर 263 के दक्षिण में कटानी रास्ते को छोड़कर खसरा नम्बर 276 स्थित है। खसरा नम्बर 276 के खातेदार ने अपनी जमीन के उत्तर पूर्व कोने के पास रिहायशी मकान बना रखे है। उक्त रिहायशी मकान खसरा नम्बर 275 गैर मुमकिन रास्ता की बाउण्ड्री में बना रखे है। उक्त मकानों को बचाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. विभाग अपीलान्ट की जमीन की तरफ दबाकर के कटानी रास्ते से हटकर के सड़क निर्माण करने पर आमादा है। इस प्रकरण के नेचर को देखते हुऐ भी अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलान्ट के पक्ष में है क्योंकि अगर एक किसान की खातेदारी की जमीन को बिना अधिग्रहण किये बिना मुआवजा दिए अगर कोई सरकार तन्त्र उसकी जमीन को खुर्द बुर्द करता है क्षति पहूंचाता है उस सूरत में अपूरर्णीय क्षति अपीलान्ट को होगी। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में नहीं मानने में कानूनी गलती की है। विचाराधीन निर्णय में कोई सार नहीं है क्योंकि अपीलान्ट का यह कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उसकी खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 263 में सड़क का निर्माण नहीं करे। जबकि विचाराधीन निर्णय में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की यह दलील रही है कि उसे अपीलान्ट खसरा नम्बर 275 रास्ता की जमीन में सड़क निर्माण में बाधा कारित नहीं करें। अपीलान्ट खसरा नम्बर 275 कटानी रास्ता में सड़क निर्णय में कोई बाधा कारित नही कर रहा है। विचाराधीन निर्णय में अंकित अनुसार पीठासीन अधिकारी ने मौके पर भौतिक रूप से मौका निरीक्षण करना लिखा है एवं निर्णय में अपनी राय यह व्यक्ति की है कि मौके पर उक्त रास्ता 50–50 वर्षों पुराना एवं गांव से दुसरे गांवप को जोड़ने का प्रचलित उपलब्ध हैं जबकि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में यह मांग की है कि उसकी जमीन का सीमाज्ञान भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा ए.टी.एस. मशीन से करवाने से पहले कोई सड़क का निर्माण नहीं करे। मौजुदा प्रकरण में विवाद प्रचलित रास्ते का नहीं है कानून से प्रचलित रास्ते पर भी सड़क का निर्माण नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

करवाया जा सकता। कटानी रास्ता से हटकर पी.डब्ल्यू.डी विभाग को सड़क निर्माण का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 263 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। मौके निरीक्षण में मौके पर 50–60 वर्षों पुरान एक गांव से दुसरे गांव को जोड़ने का प्रचलित रास्ता उपलब्ध है। वहां पर उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा भी यह बताया कि गया कि उक्त रास्ता काफी वर्षों पुराना प्रचलित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के लिये आवश्यक विचारणीय तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक (लोकोपयोगी) उपयोग उपभोग में काम आ रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 263 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। मौके निरीक्षण में मौके पर 50–60 वर्षों पुरान एक गांव से दुसरे गांव को जोड़ने का प्रचलित रास्ता उपलब्ध है। वहां पर उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा भी यह बताया कि गया कि उक्त रास्ता काफी वर्षों पुराना प्रचलित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के लिये आवश्यक विचारणीय तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक (लोकोपयोगी) उपयोग उपभोग में काम आ रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)